जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 12.08.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन"अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 2500रु0 के अर्थदण्ड व मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन**"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 12.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 2500 रु0 के अर्थदण्ड व मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 716/216 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र सीताराम निवासी काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी अवधि, 2500रु0 के अर्थदण्ड व मा0 न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 वाहनों से 1,87,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 143 वाहनों से 1,87,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 12.08.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 3741/2017 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त सुनील पुत्र छब्बू साहनी निवासी जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का करावास तथा 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधरण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।